उत्तर प्रदेश शासन

बजट परिचय

1992-93

उत्तर प्रदेश शासन

बजट परिचय

1992-93

— 542
352.12252
MTT- B

बजट परिचय

1992-93

भूमिका

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसे संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" की संज्ञा दी गयी है। साधारणतया इस विवरण को ही आय-व्ययक अथवा बजट कहा जाता है। आय-व्ययक में सरकार की प्राप्तियों और संवितरण को उसी प्रकार दिखाया जाता है जिस प्रकार सरकारी लेखे रखे जाते हैं।

सरकारी लेखे नकद धनराशियों पर आधारित

2—सरकारी लेखे नकद धनराशियों के संबंध में रखे जाते हैं और बारह महीने की अवधि के लिये होते हैं। यह अवधि 1 अप्रैल को आरम्भ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ये लेखे किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली वास्तविक नकद प्राप्तियों और किये गये संवितरणों की धनराशि को व्यक्त करते हैं न कि उसी अवधि में सरकार के पावने या दातव्य की धनराशियों को।

सरकारी लेखे का विभाजन

3—सरकारी लेखे तीन भागों में विभक्त किये गये हैं :—

भाग 1—समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फंड)
भाग 2—आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फंड)
भाग 3—लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट)।

समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फंड)—उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, समस्त ऋण तथा अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिम और ऋणों के प्रतिदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां जमा होती हैं। इस निधि से केवल विधि के अनुसार और केवल उन प्रयोजनों के लिए तथा उस रीति से जो संविधान में वर्णित है, धनराशियों का विनियोग करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विनियोग नहीं किया जा सकता।

आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फंड)—किसी वर्ष के दौरान कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आय-व्ययक (बजट) में व्यय के लिए व्यवस्थित धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो या व्यय किसी ऐसी नई मद के सम्बन्ध में करना हो जिसका आय-व्ययक में विचार न किया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में विधान मण्डल से अनुपूरक अनुदानों की मांग करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु न तो विधान मण्डल का सत्र ही वर्ष भर चलता रहता है और न प्रत्येक बार व्यय की आवश्यकता होने पर अनुपूरक मांग ही प्रस्तुत करना व्यवहार्य है। अतएव संविधान के अनुच्छेद 267 में ऐसी निधि स्थापित करने की व्यवस्था की गई है

जो "राज्य की आकस्मिकता निधि" कहलाती है। यह निधि अग्रदाय रूप में होती है और उसमें विधि द्वारा निर्धारित धनराशियां जमा की जाती हैं। उसमें से राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये अग्रिम देते हैं। इस राज्य के विधान मण्डल द्वारा 1950 में पारित एक अधिनियम द्वारा 4 करोड़ रुपये की आकस्मिकता निधि स्थापित की गई थी। आवश्यकता के आधार पर इस निधि की सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई और इस समय विधान मण्डल की स्वीकृति से इसकी राशि 600 करोड़ रुपये है। इस निधि से समय-समय पर जो धनराशियां राज्यपाल के प्राधिकार से निकाली जाती हैं उनकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांगों अथवा मुख्य बजट द्वारा विधान मण्डल से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करके यथाशीघ्र कर दी जाती है। अनुपूरक मांग या तो उस धनराशि के लिये हो सकती है जो उस पूरे अनुमानित व्यय के बराबर हो जिसके लिये उक्त निधि से अग्रिम दिया गया हो या संबंधित अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत कुछ बचतों के उपलब्ध होने के कारण कम की गई धनराशि के लिये हो सकती है या अग्रिम की स्वीकृति देते समय व्यय के उस अनुमान के कारण हो सकती है जो बाद में आवश्यकता से अधिक पाया गया हो या केवल ऐसी प्रतीक धनराशि के लिये हो सकती है जिसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय की सम्पूर्ण धनराशि संबंधित अनुदान या भारित विनियोग में होने वाली बचतों से पूरी की जा सकती हो।

लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट)—प्रशासन के दौरान सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशियां भी प्राप्त की जाती हैं जिनका संबंध समेकित निधि से नहीं होता है। उदाहरणार्थ किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रायोजना को निष्पन्न करने के लिये जमा की गई धनराशियां तथा विभिन्न भविष्य निधियों (प्राविडेन्ट फंड्स) और रक्षित निधियों (रिजर्व फंड्स) आदि में जमा की जाने वाली धनराशियां। ऐसी धनराशियां राज्य के लोक खाता के अन्तर्गत जमा की जाती हैं। लोक खाता से संवितरण की दशा में विधान मंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये धनराशियां समेकित निधि से नहीं दी जाती हैं। कुछ मामलों में विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त करके सरकार के राजस्व का एक अंग समेकित निधि से आहरित करके विशिष्ट प्रयोजनों जैसे गन्ना अनुसन्धान, सड़कों के रख-रखाव और औद्योगिक विकास आदि पर व्यय करने के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत पृथक् निधियों में जमा कर दिया जाता है। तथापि विशिष्ट प्रयोजनों सम्बन्धी वास्तविक व्यय को विधान मंडल का पुनः अनुमोदन प्राप्त करके समेकित निधि से ही किया जाता है और पुस्तक समायोजन द्वारा व्यय की सम्बन्धित निधि के नामे डाल दिया जाता है।

समेकित निधि के भाग

4—समेकित निधि के दो मुख्य भाग हैं—(1) राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट) और (2) पूंजी लेखा (कैपिटल एकाउन्ट) जिसमें पूंजीगत व्यय, लोक ऋण (पब्लिक डेट) तथा उधार और अग्रिम सम्मिलित हैं।

(1) **राजस्व लेखा**—यह मुख्यतया विभिन्न करों व शुल्कों, सेवाओं के लिये फीस, जुर्मानों और जब्तियां आदि से प्राप्त सरकार की वर्तमान आय और इस आय से पूरे किये जाने वाले व्यय का लेखा होता है। राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय सामान्यतया सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर देय ब्याज के भुगतान आदि के लिये होता है। किसी वित्तीय वर्ष की ऐसी आय और व्यय के अन्तर को उस दशा में बचत या घाटा कहते हैं जबकि उस वर्ष के लिये अनुमानित आय अनुमानित व्यय से क्रमशः अधिक या कम होती है।

(2) **पूंजी लेखा**—इसके अन्तर्गत पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा उधार और अग्रिम से सम्बन्धित व्यय और उससे सम्बन्धित प्राप्तियों और वसूलियों का लेखा रहता है।

पूंजीगत व्यय—मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो भौतिक और स्थायी प्रकार की ठोस परिसम्पत्तियों (जैसे—अभियंत्रण प्रायोजनाओं, भवनों आदि) की वृद्धि या उनके निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है तथा इसमें सरकार द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश भी सम्मिलित होते हैं। तथापि यह परमावश्यक नहीं है कि ठोस परिसम्पत्तियां सदैव उत्पादक ही हों या उनसे राजस्व की प्राप्ति होती ही हो। पूंजी लेखे में से किसी प्रायोजना के प्रथम निर्माण के सारे व्यय तथा उसके चालू किये जाने तक की अवधि के अनुरक्षण व्यय और निर्माण कार्यों के आवश्यक विस्तार तथा सुधारों के सम्बन्ध में अन्य व्यय भी किये जाते हैं। किन्तु इसके बाद रख-रखाव और मरम्मत सम्बन्धी व्यय तथा कार्य सम्पादन व्यय राजस्व लेखे से किये जाते हैं।

लोक ऋण—इस शीर्षक के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा उनके प्रतिदान के लिये की गई व्यवस्था होती है। कतिपय ऋण पूर्णतः अस्थायी प्रकार के होते हैं जिन्हें "अल्पकालिक ऋण" कहा जाता है जैसे अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिम। अन्य प्रकार के ऋणों की "स्थायी ऋण" कहा जाता है।

उधार और अग्रिम—सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को जो ऋण और अग्रिम दिये जाते हैं उनके संवितरण तथा उनके समक्ष होने वाली वसूलियों को इस शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाता है।

5—अनुभाग तथा लेखा शीर्षक समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। निर्धारित किये गये मुख्य तथा लघु शीर्षकों में उक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुभाग तथा लेखा शीर्षक

मुख्य शीर्षकों का विभाजन उप मुख्य शीर्षकों, लघु शीर्षकों, उप शीर्षकों, विस्तृत शीर्षकों तथा प्राथमिक इकाइयों (व्यय की मानक मदों) में किया जाता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अधीन उप मुख्य शीर्षक तथा

प्रत्येक उप शीर्षक के अधीन विस्तृत शीर्षक हों। व्यय की एक ऐसी मद जिसके अंतर्गत मुख्य शीर्षक से मानक मद तक सभी शीर्षकों का उल्लेख है, का उदाहरण निम्नवत् है:—

प्रभाग	राजस्व लेखा—
अनुभाग	ख—सामाजिक सेवायें (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण—
मुख्य शीर्षक	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—
उप मुख्य शीर्षक	02—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—
लघु शीर्षक	101—आयुर्वेद—
उप शीर्षक	03—अस्पताल तथा रुजालय—
विस्तृत शीर्षक	0301—राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सालय
प्राथमिक इकाई (मानक मद)	01—वेतन, 03—महंगाई भत्ता, 04—यात्रा व्यय, 05—अन्य भत्ते, 06—कार्यालय व्यय, आदि

इसी प्रकार प्राप्तियों की एक मद का उदाहरण निम्नवत् है :—

प्रभाग	राजस्व लेखा—
अनुभाग	ख—करेतर राजस्व—(ग)—अन्य करेतर राजस्व— (i) सामान्य सेवायें—
मुख्य शीर्षक	0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—
उप मुख्य शीर्षक	02—चुनाव—
लघु शीर्षक	101—चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम—
उप शीर्षक	01—विधान सभा और संसद निर्वाचन क्षेत्र की प्राप्तियां—
विस्तृत शीर्षक	0101—निर्वाचन नामावलियों की बिक्री से प्राप्तियां—

वार्षिक वित्तीय विवरण/ आय-व्ययक

6—संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदनों के समक्ष राज्यपाल, राज्य की उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेंगे जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है और जिसे आम-तौर पर "आय-व्ययक" समझा जाता है और उस वित्तीय विवरण में दिये हुए व्यय के अनुमानों में उन धनराशियों को पृथक्-पृथक् दिखाया जायगा जो राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय तथा उस निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित हों और उनमें राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

भारित व्यय—भारित व्यय में जिसे आय-व्ययक में सामान्यतया तिरछे अंक में दिखाया जाता है, निम्नलिखित प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं:—

(1) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उनके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय;

(2) विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति तथा उप-सभापति के वेतन और भत्ते;

(3) ऐसे ऋण-भार, जिनका दायित्व राज्य पर हैं, जिनके अन्तर्गत ब्याज, ऋण शोधन निधि भार और मोचन भार, उधार लेने और ऋण व्यवस्था तथा ऋण मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित हैं;

(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से सम्बन्धित व्यय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों के समस्त वेतन, भत्ते और पेंशनें सम्मिलित हैं;

(5) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञाप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई धनराशियां;

(6) संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन;

(7) राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों को अथवा उनके विषय में देय वेतन, भत्तों तथा पेंशन के व्यय सम्मिलित हैं; और

(8) संविधान या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा समेकित निधि पर भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय। [देखिए संविधान के अनुच्छेद 202 (3), 229 (3) तथा 322]।

आय-व्ययक के लेख्यों में सम्मिलित विषय

7—आय-व्ययक के लेख्यों में सामान्यतया चार प्रकार के आंकड़े दिये होते हैं:—

(1) आय-व्ययक वर्ष के आय-व्ययक अनुमान।

(2) आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के आय-व्ययक अनुमान, जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष मूलरूप में प्रस्तुत किये गये थे।

(3) आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान।

(4) आय-व्ययक वर्ष से पूर्व वर्ष के पूर्व वर्ष का लेखा (वास्तविक आंकड़े)।

आय-व्ययक वर्ष के पूर्व के वर्षों के आंकड़े केवल तुलना करने के उद्देश्य से दिये जाते हैं।

उपरोक्त सभी अनुमानों को अब हजार रुपये के गुणांकों में दिखाया जाता है।

8—व्यय के अनुमानों में सम्मिलित धनराशियां इस प्रकार हैं :—

(1) जिन्हें "स्थायी स्वीकृतियां" के अन्तर्गत वार्षिक-व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशियां कहा जा सकता है और (2) आय-व्ययक वर्ष में प्रस्तावित नये व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशियां। श्रेणी (2) के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिये व्यय करने से पूर्व विधान मंडल की विशिष्ट स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, सिवाय उस दशा में जबकि आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय करने का प्राधिकार दिया गया हो। अनुदान की प्रत्येक मांग में सबसे पहले प्रस्तावित कुल अनुदान का एक विवरण रहता है और उसके बाद अनुदान के अन्तर्गत व्योरेवार अनुमानों का विवरण रहता है।

अनुदानों की मांगों पर मतदान

9—भारित व्यय विषयक अनुमानों पर विधान मंडल का मतदान अपेक्षित नहीं है। फिर भी ऐसे व्यय के अनुमानों पर दोनों सदनों में विचार-विमर्श किया जा सकता है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 211 के उस निर्बन्धन का पालन किया जाना चाहिये जिसमें यह दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन से संबंधित आचरण के विषय में कोई चर्चा न की जायेगी। जहां तक अन्य व्यय का सम्बन्ध है, उसके अनुमान, अनुदानों की मांगों के रूप में विधान सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। विधान सभा को कोई मांग स्वीकार करने या स्वीकार न करने अथवा उसमें उल्लिखित धनराशि में कटौती करने के बाद उसे स्वीकार करने का अधिकार है। यह अनुमान विधान परिषद् के समक्ष भी रखे जाते है जो उस पर चर्चा कर सकती है किन्तु उस पर उनको मतदान नहीं करना होता है।

विनियोग विधेयक

10—आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हो जाने और विधान सभा द्वारा अनुदानों की विभिन्न मांगों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद राज्य की समेकित निधि में ऐसी सभी धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था के लिये एक विधेयक लाया जाता है जो विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान और समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये आवश्यक हो किन्तु किसी भी दशा में उन धनराशियों से अधिक न हो जो पहले दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत विवरण-पत्र में दिखाई गई हों। किसी ऐसे विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान की धनराशि न्यूनाधिक हो जाय या किसी अनुदान का उद्देश्य बदल जाय या राज्य की समेकित निधि पर भारित किसी व्यय की धनराशि घट-बढ़ जाय। विधान परिषद् विधेयक के संबंध में अपनी सिफारिशें कर सकती है किन्तु यह विधान सभा की इच्छा पर है कि वह इन्हें स्वीकार करे या न करे। विधान परिषद् द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने और उसे अपनी सिफारिशों के साथ, यदि कोई हों, विधान सभा को वापस कर दिये जाने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उसमें दी गई धनराशियां सम्बन्धित वर्ष में सरकार द्वारा व्यय किये जाने के लिये उपलब्ध हो जाती हैं।

11—अनुदान की किसी विशेष मांग के सम्बन्ध में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत धनराशि या भारित व्यय के लिये आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि एकमुश्त धनराशि के रूप में होती है, यद्यपि यह अनुमानों में दिये गये व्योरों पर आधारित होते हैं। अनुमान अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित होते हैं। यह हो सकता है कि कुछ कारणवश कतिपय शीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियां वर्ष के दौरान में वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक पाई जायं और अन्य शीर्षकों के अधीन व्यवस्थित धनराशियां वास्तविक आवश्यकताओं से कम पड़ जायं। विधान मंडल द्वारा स्वीकृत अनुदान की किसी मांग या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत कुल धनराशि में फिर वृद्धि नहीं की जा सकती, परन्तु सरकार धनराशियों के आवश्यक संक्रमण की स्वीकृति देकर (जिसे "पुनर्विनियोग" कहा जाता है) अपेक्षित पुनः समायोजन कर सकती है। ऐसा करने के लिये कतिपय नियमों और शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है। विधान मंडल द्वारा स्वीकृत आय-व्ययक में सम्मिलित न की गई नयी मदों, प्रस्तावों या योजनाओं पर व्यय बचतों से नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिये प्रतीक अनुपूरक मांग द्वारा विधान मंडल की स्वीकृति न ले ली जाय और न मतदेय तथा भारित व्यय में धनराशियों का कोई संक्रमण किया जा सकता है। राजस्व लेखे से पूंजी लेखे को तथा पूंजी लेखे से राजस्व लेखे को भी पुनर्विनियोग द्वारा संक्रमण वर्जित है। पुनर्विनियोग

12—लोक निधियों के व्यय करने में विधान मंडल की इच्छाओं की, जैसी कि वे विनियोग अधिनियमों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, सरकार किस सीमा तक पूर्ति करती है, यह भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक देखते हैं। यह अधिकारी संविधान के अधीन कार्यपालिका तथा विधान मंडल के नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आते और केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। विधान मंडल के प्रति अपना यह कर्तव्य पूरा करने के साथ-साथ वे सरकार की ओर से भी यह देखते हैं कि कहीं अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय तो नहीं कर रहे हैं। वे समय-समय पर सरकार का ध्यान अनियमितताओं की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये आकर्षित करते रहते हैं। इन कार्यों को वह अपने अभिकर्ता, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराते हैं। महालेखाकार सरकारी लेन-देन के लेखे संकलित करते हैं और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आवश्यक लेखा-परीक्षा कराते हैं। उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी समस्त सरकारी कोषागारों में बैठते हैं और सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का लेखा तैयार करते हैं। यह लेखे उनके द्वारा महालेखाकार को प्रति मास अथवा ऐसे समय पर, जिन्हें वह निश्चित करें, प्रस्तुत किये जाते हैं। महालेखाकार प्राप्तियों और व्यय की प्रगति तथा उनकी किसी असाधारण वृद्धि या कमी की सूचना सरकार को वर्ष में समय-समय पर देते रहते हैं। वर्ष का लेखा बन्द हो जाने के बाद वह विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे का संकलन करते हैं। इनको वह अपनी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन के साथ भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक नियंत्रण

महालेखा-परीक्षक उक्त लेखे और प्रतिवेदन अपने प्रमाण-पत्र तथा टिप्पणियों सहित (यदि कोई हों) विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल को भेज देते हैं। विधान मंडल की ओर से उनकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है और वह अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें विधान मंडल को प्रस्तुत करती हैं, इसके बाद सम्बन्धित विभागों से इन टिप्पणियों और सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा उचित समय के अन्दर उनके अनुपालन की सूचना देने के लिये कहा जाता है। यदि विनियोग लेखे से यह पता चले कि किसी वर्ष में विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि से अधिक व्यय हो गया है तो ऐसे व्यय को विनियमित करने के लिये विधान मंडल के सामने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस्तुत की जाती है।

13—विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत आय-व्ययक (बजट) साहित्य के निम्नलिखित छः खण्ड हैं:—

खण्ड 1—वर्ष 1992-93 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री जी का बजट भाषण।

खण्ड 2—इस खण्ड के दो भाग हैं जिनमें निम्न सामग्री सम्मिलित है:—

भाग 1—वर्ष 1992-93 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा, जिसमें 1990-91 के वास्तविक आंकड़ों, 1991-92 के पुनरीक्षित अनुमानों और 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों की समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त इस भाग में संकलित नत्थियों एवं परिशिष्ट में निम्नलिखित सूचनायें भी दी गई हैं:—

(1) राज्य की कुल ऋणग्रस्तता;
(2) सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न उधार और अग्रिमों के अदत्त शेष;
(3) विभिन्न रक्षित निधियों (जिनमें अवमूल्यन रक्षित निधियां भी सम्मिलित हैं) के नियत शेष तथा विभिन्न ऋण शोधन निधियों की शेष धनराशियां;
(4) ब्याज सम्बन्धी भुगतानों का विश्लेषण;
(5) ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियों का विश्लेषण;
(6) स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता;
(7) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत सहायक अनुदानों के रूप में स्वीकृत की गई धनराशियों के विवरण;
(8) सरकारी वाणिज्यिक विभाग (सिंचाई) का वित्तीय विवरण;
(9) राज्य सरकार द्वारा दी गई उन प्रत्याभूतियों का विवरण, जिनका अनिश्चित दायित्व समेकित निधि पर पड़ता है;

(10) बकायों की स्थिति; तथा

(11) वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों का अनुदानवार व्योरा।

भाग 2—खण्ड 2 के इस भाग में अनुदानवार अनुमानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

खण्ड 3—इस खण्ड में नई मदों, नई योजनाओं अथवा नये निर्माण-कार्यों पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय को स्पष्ट करने के लिये संक्षिप्त टिप्पणियां दी गई हैं।

खण्ड 4—इसमें राजस्व लेखे की प्राप्तियों, लोक ऋण से प्राप्तियों तथा उधार और अग्रिमों की वसूलियों के व्योरेवार अनुमान दिये गये हैं।

खण्ड 5—इसमें राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखे के व्यय/संवितरण के व्योरेवार अनुमान दिये गये हैं। सुविधा के लिये इसे ग्यारह भागों में मुद्रित किया गया है।

खण्ड 6—इस खण्ड में राज्य के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की संख्या एवं वेतन-क्रमों की अनुसूची दी गई है।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 98 सा० वित्त—23-12-91—(2298)—3,000 (आफसेट)।